न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री भंवरलाल जनागल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 65/2019

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. कैलाशदान पुत्र खींवदान 2. महेशदान पुत्र खींवदान 3. शंकरसिंह पुत्र खींवदान 4. छलपतदान पुत्र खींवदान जातियान– सभी चारण निवासीगण– ग्राम कुड़की तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।		1. भंवरीदेवी पुत्री पृथ्वीराज पत्नी श्री खींवदान जाति– चारण निवासी– ग्राम कुड़की तहसील– जैतारण जिला– पाली राज.। 2. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.15/03/2019

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, राजीव लोचन, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 23/07/2019

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–कुड़की पटवार हल्का कुड़की भू– अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला– पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 की पुश्तैनी/ पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि वाके है जिसका विवरण निम्न है। (क) खाता संख्या 271/249 के खसरा नंबर 1 रकबा 18–00 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 2 रकबा 16–18 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 3 रकबा 84–08 किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 4 रकबा 6–08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 6 रकबा 11–18 किस्म चाही प्रथम, खसरा नंवर 7 रकबा 12–18 बीघा चाही प्रथम, खसरा नंबर 8 रकबा 11–15 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 9 रकबा 12–03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 10 रकबा 11–02 किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 11 रकबा 6–01 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 12 रकबा 0–14 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 14 रकबा 15–06 बीघा चाही प्रथम कुल खसरा नंबर 12 कुल रकबा 207–11 बीघा (ख) खाता संख्या 272/250 खसरा नंवर 5/1 रकबा 165–10 बीघा किस्म चाही प्रथम उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 की कदीमी पुश्तैनी/पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है तथा उक्त कृषि भूमि पर वादीगण के नाना/ प्रनाना वक्त सेटलमेंट से पूर्व लेकर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। क कॉलम में वणित वादग्रस्त पर वादीगण के नाना/प्रनाना 1/3 हिस्से की भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज थे तथा ख कॉलम में वर्णित आराजी में 1/9 हिस्से की भूमि पर बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज थे वादीगण के नाना पृश्वीराज के कोई पुत्र सन्तान नही थी, इसलिए एकमात्र सन्तान प्रतिवादी संख्या 01 भंवरीदेवी जो वादीगण की जायव्दा माता हैं इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 भंवरीदेवी स्वर्गीय श्री पृश्वीराज के पास ही रहते थे, इस कारण पृश्वीराज की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 बराबर–बराबर काश्त व उपयोग– उपभोग करते आ रहे है। मगर पृश्वीराज की देहान्त के बाद तत्कालीन हल्का पटवारी ने बिना जाचं पड़ताल किये वादग्रस्त आराजी जरिये फौतेदगी नामान्तकरण एक मात्र प्रतिवादी संख्या 01 भंवरीदेवी के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दी, जबकि वादीगण अपने नाना के जीवनकाल में ही पुश्तैनी/पैतृक वादग्रस्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार के काबिज है। वादग्रस्त कृषि भूमि जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक/पुश्तैनी हिन्दू

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मुस्तर्का खानदान की अविभक्त शामलाती कब्जे काश्त की जमीन है। जिसपर वादीगण को अपने नाना/ प्रनाना की पुश्तैनी/पैतृक भूमि पर जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त है तथा मौके पर ही वादीगण हिस्सानुसार काबिज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 भंवरीदेवी वादग्रस्त आराजी पर बराबर-बराबर हक हिस्सा है इसी हिस्सानुसार मौके पर काश्त करते आ रहे है मगर वादगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं है इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की कृषि कार्य, बैंक व सरकारी संस्था से ऋण प्राप्त करने में व केसीसी जारी करवाने में कठिनाईयां पैदा हो रही है व सरकारी सहायता प्रापत करने व वादीगण द्वारा कृषि पैदावार की समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार को नहीं बैच सकने, ना ही फसल बीमा करवा सकते है इस पर दिनांक 24-02-2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 भंवरीदेवी ने ऐसा कराने से साफ मना कर दिया, जबकि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी/पैतृक कृषि भूमि है जिसपर वादीगण भी क कॉलम में वर्णित वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से में से वादीगण 4/5 हिस्सा व 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 एवं ख कॉलम में वणित वादग्रस्त आराजी में 1/9 हिस्से की भूमि में से 4/5 हिस्से की भूमि पर वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है 1/9 हिस्से की भूमि में प्रतिवादी 1/5 हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है इसलिए मौके पर काबिज हिस्सानुसार वादीगण अपना नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है इसलिए दावा बाबत् घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि है जिसपर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 अपने पूर्वज यानि नाना/प्रनाना के समय से बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। कॉलम संख्या क में वर्णित वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से में से 4/5 हिस्से की भूमि पर वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा 1/5 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। इसी प्रकार कॉलम संख्या ख में वर्णित वादग्रस्त आराजी में 1/9 हिस्से में से 4/5 हिस्से की भूमि पर वादीगण एवं 1/5 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है इसी कब्जाकाश्त हिस्सानुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी में दर्ज होने के बाद वादीगण अपने हिस्सानुसार काश्त करें या करवाये या इसके मुतालिक काम करे अथवा करावे, इसमें किसी प्रकार की दखलांदाजी बाधा रोक टोक पैदा करने व करवाने से प्रतिवादी को रोका जावे, यदि प्रतिवादी संख्या 01 या उसके नौकर चाकर हाली एजेन्ट इत्यादि वादीगण के कब्जा काश्त में दखलांदाजी की गई तो वादीगण उन्हें ऐसा हरगीज नहीं करेंगे, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बार-बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है व होने वाली क्षति का मूल्यांकन रूप्यों/पैसों में नही आंका जा सकता है इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है इसलिए दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय दावा दिनांक 24.02.2019 को वादीगण ने अपनी पुश्तैनी/पैतृक कृषि भूमि में बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 भंवरीदेवी कहने, जिसपर प्रतिवादी संख्या 01 ने ऐसा करने से साफ मना करने से वाद हेतुक ग्राम कुड़की तहसील जैतारण जिला- पाली राज0 में पैदा हुआ, इस वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को प्राप्त है वादीगण का वाद अन्दर म्याद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से वकील राजीव लोचन एवं महेन्द्रसिंह बाहरठ ने संयुक्त वकालतनामा पेश किया। सा.मि. किया गया। वादीगण मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादीया मय वकील ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा में जाहिर किया कि वादपत्र विचाधीन रहते वादीगण एवं प्रतिवादीया भंवरीदेवी के बीच गांव के मौजिज व्यक्तियों की आपसी समझाइस से राजीनामा हो गया है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

के बीच अब किसी प्रकार का वाद विवाद विचाराधीन नही हैं तथा वादीगण का वादपत्र माफिक इस्तदूआ वादपत्र के वादीगण के पक्ष में निर्णित व डिक्री किया जाता हैं तो उसमें प्रतिवादीया भंवरीदेवी को कोई आपत्ति ऐतराज नही हैं। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस में वकुलाय ने जाहरि किया कि माफिक राजीनामा वादीगण का वाद वाद की इस्तदूआ अनुसार डिक्री किया जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली मय दस्तावेजात, राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रतिवादीया विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार हैं विवादित आराजी पैतृक पुश्तेनी हैं, वादीगण माफिक राजीनामा अपनी माता की पैतृक पुश्तेनी आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित होने चाहते हैं, प्रतिवादीया ने राजीनामा प्रस्तुत कर अपने पुत्रो को अपनी खातेदारी भूमि में बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में कोई आपति / ऐतराज नही किया हैं। राजीनामा तस्दीक किया गया हैं। लिहाजा वादपत्र में वर्णित खातेदार भूमि में प्रतिवादीया के साथ वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा वादीया का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद सरहद मौजा–कुड़की पटवार हल्का कुड़की भू– अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला– पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 की पुश्तैनी/ पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 271/249 के खसरा नंबर 1 रकबा 18–00 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 2 रकबा 16–18 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 3 रकबा 84–08 किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 4 रकबा 6–08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 6 रकबा 11–18 किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 7 रकबा 12–18 बीघा चाही प्रथम, खसरा नंबर 8 रकबा 11–15 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 9 रकबा 12–03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 10 रकबा 11–02 किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 11 रकबा 6–01 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 12 रकबा 0–14 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 14 रकबा 15–06 बीघा चाही प्रथम कुल खसरा नंबर 12 कुल रकबा 207–11 बीघा एवं खाता संख्या 272/250 खसरा नंबर 5/1 रकबा 165–10 बीघा किस्म चाही प्रथम भूमि में प्रतिवादीया भंवरीदेवी पत्नि पृथीराज के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा.मि. किया गया। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 23/07/2019 को ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned by CamScanner